न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 4/2014
दायरा तिथि : 09.01.2014
फैसला तिथि : 30.11.2017

प्रार्थी :–
रामसिंह पुत्र शिवनाथसिंहजी जाति राजपुत
निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. हिम्मतसिंह पुत्र जयसिंहजी जाति राजपुत नि0 मुण्डारा तहसील बाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–
1. श्री विजयराज चौधरी व नेकाराम चौधरी......................अभिभाषक प्रार्थी की और से
2. श्री अमृत परिहार .... अभिभाषक अप्रार्थी सं0 की और से
3. तहसीलदार, बाली ....पेरोकार सरकार

–:: **आदेश** ::– दिनांक 30.11.2017

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि सैटलमेंट अधिकारियों ने ग्राम मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 331 रकबा सवा दो बीघा चार बिस्वा व खसरा नंबर 332 रकबा पाव बीघा से बने हाल खसरा नंबर 481 व 482 को खसरा नंबर 480 के दक्षिण कोने में बता दिया है, जबकि वास्तव में मौके की भौतिक स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 480 व 481 हाल खसरा नंबर 452 के दक्षिण दिशा में स्थित् हैं। अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्ट में निरीक्षक भू0अभिलेख बाली की जांच रिपोर्ट की प्रति पेश की। सैटलमेंट विभाग की उक्त त्रुटि की वजह से मौके पर भौतिक रूप से काबिज एवं नक्शे की स्थिति मेल नहीं खा रही हैं। अतः भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी, गत् जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी, मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपिली, भूअभिलेख निरीक्ष बाली की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपी, हाल नक्शा की प्रतिलिपी, गत् नक्शे की प्रतिलिपी, पेश की।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जबाव अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मुण्डारा में सैटलमेंट विभाग की कार्यवाही के पश्चात् तैयार रेकर्ड को तीन दशक से अधिक की समयावधि व्यतीत हो चुकी हैं। सैटलमेंट अधिकारी के आदेश को चुनौती प्रार्थी द्वारा सक्षम अपील न्यायालय को किया जाना अपेक्षित था, जिस हेतु उक्त न्यायालय सक्षम नहीं हैं। धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान मात्र लिपिकीय त्रुटियों को भूमिधारी एवं रेकर्डेड खातेदार की सहमति से ही दुरस्त किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थना पत्र ,प्रार्थी खारिज किये जाने की दलील दी। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत जबाव के अवलोकन के पश्चात् मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 331, 332 कुल रकबा ढाई बीघा से बने हाल खसरा नंबर 481 व 482 की स्थिति स्पष्ट करने हेतु नायब तहसीलदार, बाली के नेतृत्व में 2 निरीक्षक भू0अभिलेख व हल्का पटवारी मुण्डारा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2017 के आदेश से मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गई। न्यायालय द्वारा आदेश की पालना में गठित टीम द्वारा रिपोर्ट दिनांक 8.11.2017 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

मौका कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी श्री विजयराज चौधरी व वकील अप्रार्थी श्री अमृत परिहार व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में जाहिर हैं कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मुण्डारा के हाल खसरा नंबर 481 व 482 की स्थिति मौके

पेज लगातार.....2

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 4/2017 अनवान रामसिंह बनाम हिम्मतसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

पर खसरा नंबर 452 के दक्षिण दिशा में होने से मौके की स्थिति अनुसार नक्शे में भी खसरा नंबर 481 व 482 की स्थिति को शुद्ध किये जाने की मांग की गई हैं। इस संबध में न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार, बाली के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई हैं, उसके अनुसार– गत् नक्शे में गत् खसरा नंबर 330 व 331 की स्थिति गत् खातेदार जयसिंह पुत्र जावतसिंह कौम राजपुत सा. मुण्डारा के वर्तमान कायम मुकाम हिम्मतसिंह पुत्र जयसिंह कौम राजपुत सा. मुण्डारा को वर्तमान नक्शा ट्रेस के खसरा नंबर 452 की दक्षिणी–पुर्वी माठ के कोने के पास दर्ज करनी चाहिये थी। लेकिन भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा गत् खसरा नंबर 330 व 331 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नये बने खसरा नंबर 481 व 482 श्री रामसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपुत सा. मुण्डारा के हिस्से की गत् खातेदारी भूमि खसरा नंबर 329 मी. व 330 मी. व वर्तमान खसरा नंबर 479, 480, 481, 482 की जगह दर्ज करके अशुद्धि कर दी गई हैं। गत् खसरा नंबर 331 व 332 की स्थिति वर्तमान खसरा नंबर 452 के दक्षिणी पूर्वी कोने की मेड पर हैं। उसी खसरा नंबर 452 में रकबा सम्मिलित हैं। मौके पर कुआ समतल कर पाट दिया हैं। मौका मुआयना व सर्वे टीम द्वारा गत् नक्शे की स्थिति व वर्तमान नक्शे की स्थिति व गत् व हाल रेकर्ड व मौका स्थिति अनुसार ग्राम मण्डारा के वर्तमान खसरा नंबर 481 रकबा 0.49 हैक्टर किस्म जाव दोयम में सम्पुर्ण भूमि श्री रामसिंह पुत्र शिवनाथसिंह कौम राजपुत सा. मुण्डारा के नाम दर्ज किये जाने व मेड पर स्थित खसरा नंबर 482 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा में 1/2 हिस्से में हिम्मतसिंह पुत्र जयसिंह कौम राजपुत सा. मुण्डारा के बजाय रामसिंह पुत्र शिवनाथसिंह कौम राजपुत सा. मुण्डारा के क़ब्जे काश्त में पाये जाने की संस्तुती की जाती हैं। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा गत् खसरा नंबर 330 व 331 की स्थिति वर्तमान नक्शे में सही जगह पर नहीं दर्शाये जाने की अशुद्धि होना पाया गया। राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार शुद्धि प्रकरण उचित पाया गया। इस प्रकार प्रार्थी ने भी अपने प्रार्थना पत्र में नक्शे में खसरा नंबर 480 व 481 की स्थिति खसरा नंबर 452 के दक्षिणी–पुर्वी माठ पर अंकित किये जाने की मांग की हैं तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी इसी अनुसार अनुशंषा करते हुये खसरा नंबर 481 तथा खसरा नंबर 482 की स्थिति हाल खसरा नंबर 452 के दक्षिणी –पुर्वी माठ पर अंकित किये जानें की अनुशंषा की गई हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। माफिक कमिश्नर रिपोर्ट ग्राम मुण्डारा के वर्तमान खसरा नंबर 481 तथा खसरा नंबर 482 की स्थिति नक्शे में खसरा नंबर 480 के दक्षिण कोने की बजाय खसरा नंबर 452 के दक्षिणी–पुर्वी माठ पर अंकित कर नक्शे में शुद्धि के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मुण्डारा आदेशानुसार नक्शे में शुद्धि कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस हेतु आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मुण्डारा को भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(गौरव अग्रवाल)
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
आई.ए.एस.

आदेश आज दिनांक 30-11-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
बाली

उप - खण्ड अधिकारी न्यायालय, बाली, जिला-पाली (राज.)